

**न्यायालय संख्या - 1**

वादः - रिट - सी संख्या - 629 सन 2025

याचिकाकर्ता: - गुरुदीन जायसवाल

प्रतिवादी: - उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश
लखनऊ एवं 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: - गंगा प्रसाद मिश्रा, अभिनव मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: - मुख्य स्थायी अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति अताउल रहमान मसूदी**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को नोटिस जारी करें, जो कि समय से पहले वापस किया जा सके।

तामील की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को न्यायालय के बाहर प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को दस्ती के माध्यम से तामील कराने की स्वतंत्रता है। कार्यवाही किए जाने पर, याचिकाकर्ता को न्यायालय के बाहर प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को दस्ती नोटिस तामील कराने के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

याचिकाकर्ता सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक तामील का शपथ-पत्र दाखिल कर सकता है।

17.02.2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में नए सिरे से सूचीबद्ध करें।

[न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी] [न्यायमूर्ति अताउल रहमान मसूदी]

आदेश दिनांक: - 28.1.2025

-अमित-के/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।